

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 81/2023 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2023/101

1. गंगा बेवा स्व. मोडाराम
2. पुनमचंद पुत्र स्व. मोडाराम
3. नारायणी पुत्री स्व. मोडाराम
4. राजा पुत्री स्व. मोडाराम
5. धुडाराम पुत्र स्व. मोडाराम

जाति मेघवाल निवासीगण
रामपुरा बस्ती, बीकानेर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती लीला देवी पत्नी स्व. ईश्वरराम
2. पवनकुमार पुत्र स्व. ईश्वरराम
3. मांगीलाल पुत्र स्व. ईश्वरराम
4. सुरेश पुत्र स्व. ईश्वरराम
5. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व, बीकानेर।

जाति मेघवाल
निवासीगण ग्राम
भरुपावा तहसील व
जिला बीकानेर।

— रेस्पोंडेंट्स

उपस्थित: श्री जयचंद सारस्वत
श्री विनोद कुमार पुरोहित

— अभिभाषक अपीलांट
— अभिभाषक रेस्पोंडेंट सं. 1 व 2

निर्णय

दिनांक 06.04.2026


यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर आदेश दिनांक 05.09.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि —

1— वादग्रस्त भूमि ग्राम भरुपावा के खसरा नंबर 51 तादादी 40 बीघा भूमि सन 1967 को अपीलांट के पिता एवं पति को आवंटन हुई। तत्पश्चात रकबा उपनिवेशन में घोषित होने पर अराजीराम किया गया। फिर पुनः रेवेन्यू में आने पर रकबा गैरखातेदारी दर्ज किया गया। तत्पश्चात तहसीलदार बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 24.01.2007 द्वारा अपीलांट के पिता एवं पति मोडाराम को


संभागीय आयुक्त
बीकानेर

खातेदारी प्रदान कर दी। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ता 4 ने उक्त खातेदारी आदेश दिनांक 24.01.2007 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर वीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर वीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 05.09.2023 द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ता 4 की अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.01.2007 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि अधीनस्थ न्यायालय उभय पक्षों को सुनकर व मौके एवं रिकॉर्ड की जांच कर नियमानुसार आदेश पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर वीकानेर के उक्त आदेश दिनांक 05.09.2023 से व्यथित होकर अपीलांत ने इस न्यायालय अपील में प्रस्तुत की।

2- विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपनी वहस में कथन किया है कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ता 4 पति व पिता ईश्वरराम के नाम से उपनिवेशन में गांव भरुपावा में एक साल के लिए टीसी आवंटन सन 1980-81 में खसरा नंबर 51/9 तादादी 33 बीघा 10 बिस्वा बरानी के आधार पर हम अपीलांट्स के हक में जारी खातेदारी को निरस्त करने की अपील की जिसके प्रतिउत्तर में हमारे द्वारा स्पष्ट किया गया कि स्व. ईश्वरराम के नाम से जो खसरा नंबर 51/9 आवंटन हुआ था वह आगे उपनिवेशन के चक 1 डीएलएम में चला गया है। हमारे खसरे से स्व. ईश्वरराम को कोई सरोकार नहीं हैं। क्योंकि हमारा खसरा नंबर 51 तादादी 40 बीघा है जिसके सेंटलमेंट में नया खसरा नंबर 133, 177/134, 178/136 तादादी 10.12 हैक्टर बनाये है। जिसकी खातेदारी विधिसम्मत प्रदान की गई है। अपील में एक तथ्य यह भी उठाया गया था कि मोडाराम रेलवे मे कर्मचारी था जिसे आवंटन नहीं हो सकता। जिस पर रेलवे से रिपोर्ट मंगायी गई जिसमें स्पष्ट तौर पर विभाग द्वारा अंकन किया है कि मोडाराम की नियुक्त तिथि 16.06.1977/13.08.1985 बताई हैं जबकि आवंटन इससे पूर्व 1967 का है। ऐसी स्थिति में उक्त बात बाध्यकारी नहीं है जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अपीलांत के पति व पिता स्व. मोडाराम के नाम से ग्राम भरुपावा के खसरा नंबर 51 तादादी 40 बीघा भूमि 1967 को आवंटन की गई थी तत्पश्चात रकबा उपनिवेशन में घोषित होने से अराजीराम किया गया। उपनिवेशन से पुनः रेवेन्यू में आने पर रकबा गैरखातेदारी दर्ज किया गया। तत्पश्चात राज्य सरकार के आवंटन नियमों व टिनेन्सी एक्ट की धारा 19 के ताबे दिनांक 24.01.2007 को शिविर प्रभारी की


संभागीय आयुक्त
वीकानेर

हैसिंगत से तहसीलदार बीकानेर द्वारा खातेदारी की गई जो पूर्णतया विधिसम्मत है जिसके खिलाफ रैस्पोजेन्ट संख्या 1 ता 4 श्रीमति लीलादेवी वगैरह द्वारा झूठे कथनों पर अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जबकि शिविर प्रभासी के आदेश की अपील कलक्टर महोदय को नहीं होती है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सारे तथ्यों के विपरित जाकर पत्रावली में गौजुद रिकॉर्ड की अनदेखी करते हुए जैर अपील आदेश दिनांक 05.09.2023 को पारित किया है जो शोभाधिकार से बाहर व विधि विरुद्ध तरीके से होने से स्वतः शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील में सुनवाई के दौरान अपीलांत मोडाराम की और से की गई बहस व प्राथमिक आपत्ति पर बिना कोई विधिसम्मत निर्णय पारित किये पत्रावली में गौजुद रिकॉर्ड के प्रतिकूल केवलमात्र 2010 के पूर्व के मामलों को निरस्तारण करने के उद्देश्य से बिना कोई माइण्ड अप्लाई किये निर्णय में एकतरफा तो लिखते हैं कि रैस्पोजेन्ट लीलादेवी वगैरह ने अपने कथनों के समर्थन में पर्याप्त सबूत पेश नहीं किये हैं। वही दूसरी ओर लिखते हैं कि हस्तगत प्रकरण में कोई भी आदेश देने से पूर्व अपीलांत को भी सुना जाना चाहिए फिर निर्णय में लिखते हैं कि उपरोक्त विवेचन में अपील के गुणावगुण पर विचार किये बिना अपील अपीलांत आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.01.2007 निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिपेक्षित किया जाता है। इस प्रकार प्रकरण में सारी कार्यवाही परस्पर निर्णय के कथनों के विरोधाभासी होने के कारण स्वच्छ न्याय की परिभाषा में नहीं आता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.09.2023 को निरस्त किया जाकर अपीलांट्स के पति व पिता मोडाराम के पक्ष में न्यायालय तहसीलदार बीकानेर द्वारा पारित खातेदारी आदेश दिनांक 24.01.2007 को बहाल घोषित किया जावे।

3- विद्वान अभिभाषक रैस्पोजेन्ट संख्या 1 ता 4 ने बहस के दौरान कथन किया कि रैस्पोजेन्ट संख्या 1 ता 4 के पिता एवं पति स्व. ईश्वरराम को सन 1980-81 में दौराने उपनिवेशन ग्राम भरुपावा में खसरा नंबर 51/9 मीन में 32 बीघा 9 बिस्वा बरानी भूमि टीसी होल्डर के रूप में आवंटित की गई तथा मौके पर रैस्पोजेन्ट के पति व पिता का वास्तविक कब्जा सुपुर्द किया गया, तब से उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार उक्त 32 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर निर्बाध रूप से बतौर कृषक काबित चला आ रहा है। मौके पर ईश्वरराम के परिवार की 12 महासी ढाणी तथा पानी की पक्की कुण्डी बनी हुई है। ढाणी में रैस्पोजेन्ट अपने


संभागीय आयुक्त
बीकानेर

परिवार सहित निवारा कर रहा है। वर्तमान भू-प्रबंध में रेस्पॉडेन्ट के कब्जे शुदा 32 बीघा 9 बिस्वा पर निम्न नये नंबर अंकित किये गये है। इनका कब्जा निम्न नये खसराओं पर है खसरा नंबर 133 मिन तादादी 2.91 हैक्टयर, खसरा नंबर 178/136 मिन तादादी 0.25 हैक्टयर, खसरा नंबर 179/137 मिन तादादी 0.27 हैक्टयर, खसरा नंबर 136 मिन तादादी 4.06 हैक्टयर, खसरा नंबर 137 मिन तादादी 0.79 हैक्टयर कुल तादादी 8.21 हैक्टयर स्थित हैं जिस पर रेस्पॉडेन्ट्स का कब्जा अर्से दराज से चला आ रहा है। मोडाराम के पक्ष में जो खातेदारी अधिकार तहसीलदार द्वारा प्रदान किये गए उन खातेदारी अधिकारों के संबंध में किसी प्रकार की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत ही नहीं किये गये ना ही विधि सम्मत शहादत इत्यादि प्रस्तुत किये गये तहसीलदारर द्वारा खसरा नंबर 133, 177/134, एवं 178/136 के संबंध में जो खातेदारी अधिकारी मोडाराम के पक्ष में प्रदान किये वह विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य थे जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई भूल नहीं की है। अपीलांट के पति व पिता मोडाराम रेल्वे विभाग में बतौर कर्मचारी कार्यरत रहे थे जो 1963 से 1993 तक विभाग में कर्मचारी थे। कानूनन इस अवधि के बीच में किसी सरकारी कर्मचारी को टीसी आवंटन पुख्ता आवंटन या किसी भी प्रकार की कृषि भूमि का आवंटन नहीं हो सकता था। इसके बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति को दौराने सरकारी सेवा अगर किसी प्रकार कोई आवंटन हुआ होता हो तो वह प्रारंभी से ही *abinitio void* होने के कारण *nonest* है। अपीलांट के पति व पिता मोडाराम को तथाकथित टीसी आवंटन राजस्व मातहत अमले द्वारा सर्वप्रथम किया गया। दौराने उपनिवेशन उक्त तथाकथित टीसी आवंटन को रिन्धु नहीं करवाया ना ही नया टीसी आवंटन अथवा पुख्ता आवंटन करवाया। जब ग्राम भरुपावा डीकॉलोनाईज हुआ तब आराजी जैर अपील रिकॉर्ड में आराजी राज भूमि दर्ज थी। जब यह तथ्य तहसीलदार के समक्ष आ चुके थे तब जमाबंदी मे काश्त कार के रूप में किसी भी व्यक्ति का अंकन नहीं किया जा सकता जो अंकन किया गया वह किसी न्यायालय के आदेश से नहीं हुआ। वह अंकन किस प्रकार हुआ यह स्पष्ट नहीं था। अपीलांट एवं रेस्पॉडेन्ट्स के मध्य नियमित राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के समक्ष विचाराधीन है उक्त राजस्व वाद के साथ-साथ राजस्व मण्डल राजस्थान में भी निगरानी विचारधीन है। दोनों प्रकरण में हकों का अन्तिम रूप से निस्तारण किया जाना शेष है। कानूनन जब नियमित राजस्व वाद विचाराधीन होतो उसी विचाराधीन वाद के




 अधीन-बीकानेर

निर्णय के आधार पर ही राजस्व रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें। अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने अपने बहस निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत का हवाला दिया।

क्र.स. न्यायिक दृष्टांत

1. आरआरडी 2002 पेज नंबर 1
2. आरआरडी 1992 पेज नंबर 2
3. आरआरडी 1993 पेज नंबर 86
4. आरआरटी 2008 (1) पेज नंबर 228
5. आरआरडी 2005 पेज नंबर 637
6. आरआरडी 1986 पेज नंबर 590
7. आरआरडी 2006 पेज नंबर 403
8. आरआरडी 1992 पेज नंबर 360
9. आरबीजे 2021 पेज नंबर 670
10. आरआरटी 2008 पार्ट 1 पेज नंबर 241
11. आरबीजे 2022 पेज नंबर 370
12. आरआरडी 1995 पेज नंबर 774
13. आरआरडी 2006 पेज नंबर 502

4- हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा दौराने बहस उभय पक्ष एवं न्यायिक दृष्टांतो पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार उक्त वादगत भूमि अपीलांट के पति एवं पिता स्व. मोडाराम के नाम से ग्राम भरुपावा के खसरा नंबर 51 तादादी 40 बीघा भूमि सन 1967 को आवंटित हुई। उक्त वादगत भूमि उपनिवेशन से पुनः रेवेन्यु में आने पर रकबा गैरखातेदारी दर्ज किया गया। तहसीलदार बीकानेर ने शिविर प्रभारी के अधिकारों का उपयोग कर अपीलांट के पति एवं पिता स्व मोडाराम के नाम गैर-खातेदारी दर्ज भूमि को खातेदारी प्रदान की है। रेस्पोंडेन्ट यह भी साबित करने में असफल रहा की अपीलांट के पति एवं पिता के खातेदारी अधिकार नियमों के विरुद्ध है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 05.09.2023 में अंकित किया है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ता 4 का कथन है कि "जब


संभागीय आयुक्त
बीकानेर

ग्राम भरुपावा डिकोलोनाईज्ड हुआ तक वादगत भूमि अराजी राज दर्ज थी तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने किस प्रकार अपीलांट के पिता एवं पति के नाम भूमि अंकित की, यह स्पष्ट नहीं है जबकि कब्जा अपीलांट का था" परन्तु रेस्पॉडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने उक्त कथनों के समर्थन में पर्याप्त सबूत पेश नहीं किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कथन अंकित करने के पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.01.2007 निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी अंकित किया है कि अपील में गुणावगुण पर विचार किये बिना अपील अपीलांट आशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.01.2007 निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही प्रकरण में दो विरोधाभासी कथन करना न्यायोचित नहीं है उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.09.2023 उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.09.2023 निरस्त किया जाता है और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बीकानेर का खातेदारी आदेश दिनांक 24.01.2007 यथावत रखा जाता है।

5- तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विश्राम/मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर